>

Title: Regarding need to include Bhojpuri language in Eighth Schedule to the Constitution - Laid

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी को अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया जबकि ये तीनों भाषाएं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं । इतना ही नहीं लोक सभा में पिछली सरकार ने भोजपुरी भाषा को संविधान के आठवी अनुसूची में शामिल करने का आश्वासन भी दिया था लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । जबकि भोजपुरी भाषा देश के विभिन्न हिस्सों में जैसे मुख्य रूप से पश्चिम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी झारखण्ड के क्षेत्र में बोली जाती है । ऑकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 20 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं । पूरे विश्व में भोजपुरी भाषा ब्राजील, फिजी, गुयाना, मारिशस, दक्षिण अफीका, टोबागो आदि देशों में बोली जा रही है ।

अतः भारत सरकार से भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करता हूं ।